राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS 3.0/WAM-15/ 2671-73 दिनांक 15-07-2024

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव / उपशासन सचिव, समस्त प्रशासनिक विभाग

विषयः– **आई.एफ.एम.एस. 3.0 में विकसित निर्माण कार्यों हेतु जारी की जाने वाली प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया के ऑनलाइन प्रशिक्षण के क्रम में।**

म्होदय,

विषयान्तर्गत आई.एफ.एम.एस. 3.0 के अन्तर्गत निर्माण विभागों के माध्यम से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु सभी विभागों के स्तर से जारी की जाने वाली प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति व संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया विकसित की गई है। यह प्रक्रिया 01 अगस्त 2024 से लागू की जानी प्रस्तावित है। उक्त प्रक्रिया हेतु विभागवार प्रशिक्षण दिनांक 04.07.2024, 05.07.2024 एवं 08.07.2024 आयोजित किया जा चुका है। सभी विभागों से सम्बद्ध प्रशासनिक विभागों के स्तर से जारी की जाने वाली प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति व संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया का प्रशासनिक विभागों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिनांक 18.07.2024 को प्रातः 11:30 बजे आयोजित किया जा रहा है। ऑनलाइन प्रशिक्षण Join करने हेतु लिंक निम्न प्रकार है :–

https://meet.google.com/hcp-urcj-icn

अतः आपके प्रशासनिक विभाग में पदस्थापित निर्माण कार्यों से संबंधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्देशित किये जाने का श्रम करावे।

भवदीय

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS 3.0/WAM- / 2674-76 दिनांक 15/7/2024

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. (WAM) एल.आई.सी. भवन, जयपुर को उक्त ऑनलाइन प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्रेषित है।
2. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को साईट पर अपलोड किए जाने हेतु।
3. प्रमुख प्रोजेक्ट मैनेजर, PMU टीम को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था किए जाने के क्रम में।

अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)